संख्या– 91 / 9–1–2019–02निर्वा / 17

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 16 ~~फरवरी~~ मार्च, 2019

विषय– लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019–मतदेय स्थलों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (Assured Minimum Faciltites) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3074 / 9–1–2018–02निर्वा / 17, दिनांक–05.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 कार्यालय पत्र दिनांक 18.02.2019 द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की तैयारियों के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सभाकक्ष में एक बैठक दिनांक 25.02.2019 को आयोजित हुई जिसमें निम्नवत निर्देश दिये गयें है:–

(1) प्रत्येक विभाग Assured Minimum Faciltites (A.M.F.) प्रत्येक बूथ पर सुनिश्चित करेंगे।

(2) नगरीय निकाय क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर सफाई / पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायें।

(3) विभागों द्वारा जो भी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग को भेजी जायें उसमें समयबद्धता एवं शुद्धता सुनिश्चित किया जाय।

(4) विभाग स्तर पर "Voter Awareness Forum" का गठन किया जाय।

(5) विभाग में उक्त कार्य हेतु नियुक्त "नोडल अधिकारी" की सूचना निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने हेतु अपने जनपद से संबंधित नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद / नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 10.3.19

(मनोज कुमार सिंह)
(प्रमुख सचिव)

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0(द्वारा जिलाधिकारी)।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।

आज्ञा से,

11/3/19

(अनिल कुमार बाजपेई)
विशेष सचिव।